उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-23/2021/124प्र0स0/92-2-2021-30एम/2020

लखनऊ :: दिनांक:: 26 मार्च 2021

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अमेठी में सहायक अभियंता के रूप में कार्यरत रहने के दौरान महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने, कार्य की प्रगति कम पाये जाने, बिना पूर्व सूचना के मुख्यालय से बाहर रहने एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने आदि हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-63/2019/733/92-2-2020 - 30एम/2020 दिनांक 23-04-2020 द्वारा श्री राम अवध यादव, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अमेठी को आरोप पत्र देते हुये उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया था।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ के पत्र दिनांक 23-09-2020 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी श्री राम अवध यादव पर अधिरोपित कुल 03 आरोपों में से कोई भी आरोप स्थापित होना नही पाया गया किन्तु जॉच अधिकारी की जॉच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरांत पाया गया कि अपचारी अधिकारी श्री रामअवध यादव द्वारा शासकीय कार्यो के प्रति उदासीनता/लापरवाही बरतने एवं बिना पूर्व अवकाश स्वीकृत कराये कार्यालय से अनुपस्थित रहने आदि के लिये दोषी पाया गया है। अतः श्री रामअवध यादव, सहायक अभियंता के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-63/2019/733/92-2-2020-30एम/2020 दिनांक 23-04-2020 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में श्री राम अवध को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-5/2021/150/92-2-2021-30एम/2020 दिनांक 27-01-2021 द्वारा परिनिन्दा का दण्ड देते हुये समाप्त कर दी गयी।

3- शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27-01-2021 द्वारा पारित परिनिन्दा के दण्डादेश के क्रम में प्राप्त श्री राम अवध, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अमेठी के प्रत्यावेदन दि0 06-02-2021 व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अपचारी अधिकारी के विरूद्ध पारित उक्त दण्डादेश के क्रम में उनके द्वारा अपने प्रत्यावेदन में ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे दिये गये दण्डादेश को समाप्त किया जा सकें। अतः श्री रामअवध, सहायक अभिंयता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अमेठी के प्रत्यावेदन दिनांक 06-02-2021 को बलहीन होने के कारण एतदद्वारा निरस्त करते हुये निस्तारित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-23/2021/124प्र0स0 (1)/92-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- श्री रामअवध यादव, सहायक अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-अमेठी द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।